राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.10(28)कृषि / ग्रुप–2 / 85 जयपुर, दिनांकः– 4 MAR 2013

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या–38) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डो की स्थापना) नियम, 1987 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है और उक्त धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से इसके द्वारा आदेश देती है कि ये नियम पूर्व प्रकाशन के बिना बनाये जायेंगे क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये अर्थात :–

संशोधन

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डो की स्थापना) नियम, 1987 के नियम 3(ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह लाख रूपये" प्रतिस्थापित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(आर.आर.सुलानिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सी.डी. ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कृषि विपणन, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज0 जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव